न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 714 / 2019

भूपराम पुत्र फुसाराम जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 हरसुख पुत्र घमण्डाराम जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 सहीराम पुत्र घमण्डाराम जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 कुम्भाराम पुत्र घमण्डाराम जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 बुगी देवी पत्नी रणजीतराम जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 रामचन्द्र पुत्र रणजीतराम जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6 काशीराम पुत्र रणजीतराम जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

7 हेतराम पुत्र रणजीतराम जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

8 भागीरथ पुत्र सोहनलाल जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

9 सुरजाराम पुत्र सोहनलाल जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

10 शंकरलाल पुत्र सोहनलाल जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

11 रामलाल पुत्र सावंलराम जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादी)

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 3.1.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,53, आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 32 के एस डी जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 47/29 मु.न. 3 कि.न.4 में 0.228 है. नहरी, 0.025 हे. खाला, कि.न. 5 में 0.202 है. नहरी, 0.051 है. खाला कुल 0.506 है. नहरी मय खाला आराजी वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। वादी एव प्रतिवादीगण के नाम उकत आराजी के अलावा चक 32 के एस डी एव चक 30 के एस डी में भी आराजी दर्ज कागजात माल है जो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

कि वादी एव प्रतिवादीगण एक ही बिरादरी के सदस्य है एव वादी केनाम दर्ज आराजी का बंटवारा वादी के पिता ने अर्सा पूर्व ही प्रतिवादीगण के साथ कर लिया था एव प्रतिवादीगण को चक 30 के एस डी व चक 32 के एस डी में प्राप्त आराजी को उनके हक हिस्सा के अनूसार छोड़ दिया था एव वादाधीन दावा की मद संख्या 2 मे दर्ज आराजी को प्राप्त कर लिया था एव इसी बंटवारानूसार वादी एव प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को काश्त करते आ रहे है जो कि मुताबिक बंटवारा वादाधीन आराजी वादी के हक हिस्सा में आयी है एव वादी ही वादाधीन आराजी को बिना किसी विघ्न के अर्सा पूर्व हुये बंटवारानूसार काश्त करता आ रहा है। वादी के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम मुताबिक बंटवारा दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारा दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त किला विशेष आराजी पर डिग्गी निर्माण बागवानी व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से पूर्व सहकाश्तकारान की सहमति की आवश्यकता पड़ती है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही होने से वादी को प्रतिवादीगण के द्वारा बेदखल किये जाने का अंदेशा सदैव लगा रहता है जिस कारण वादी अपने हक हिस्सा की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त कर पाने मे असमर्थ है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का कानूनन हक अधिकारी है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन कि वे लोग वादी को मुताबिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी का सहमति के आधार पर खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड करवा देवे तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 6.08.2019 को बमुकाम चक 32 के एस डी में वादी की बात मानने से स्पष्ट रूप से ईन्कार हो गये बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादी मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि चक 32 के एस डी जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 47/29 मु.न. 3 कि.न.4 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 5 में 0.202 है. नहरी, 0.051 है. खाला कुल 0.506 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी को खातेदार काश्तकारी घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जवाब स्टेट पेश हुआ, राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादी में उचित आदेश फरमाये जाने के इस्तदुआ की गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी एव प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाता में संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एव वादी वादाधीन 2 बीघा आराजी पर मुताबिक अन्य सहकाश्तकारान के साथ हुये बंटवारानूसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है एव सहकाश्तकारान के नाम से 1.2 बिस्वा आराजी दर्ज कागजात चली आ रही है व वादी ने निवेदन किया कि है कि वादी ने उक्त खाता में सहकाश्तकारान से प्राप्त आराजी के ऐवज में अन्य खातों में आराजी सहकाश्तकारान को दे रखी है व वादी को उसी अनूसार नाम चक 32 के एस

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

डी के अन्य खातों से कलमजन हो चूका है, वादी की कब्जा काश्त के सम्बध में किसी भी सहकाश्तकारान ने उपस्थित होकर विरोध नही किया है व वादी ने अपनी कब्जा काश्त को बखूबी साबित किया है, इस प्रकार वादी ने अपने दावा को दस्तोवजी साक्ष्यों, अभिकथनों, बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 32 के एस डी जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 47/29 मु.न. 3 कि.न.4 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 5 में 0.202 है. नहरी, 0.051 है. खाला कुल 0.506 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 16:12:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: